उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-13/2022/122प्र0स0/92-2-2022-03जॉच/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 31 मई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद रायबरेली में त्वरित विकास योजनान्तर्गत आमंत्रित निविदा में एन0आई0टी0 द्वारा स्वीकृत प्रारूप के विपरीत जनप्रतिनिधियों का नाम अंकित किये जाने 136 स्वीकृत कार्यो के स्थान पर 145 कार्यो की निविदायें आमंत्रित किये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1485/92-2-19-03जॉच/2019 दिनांक 15.07.2019 द्वारा श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-रायबरेली के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी, श्री सचान द्वारा उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने के सबंध में अपना प्रत्यावेदन दिनांक 01.07.2019 प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रत्यावेदन पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री आर0के0 सचान के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली1999 के नियम-7 के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत परिवर्तित करते हुये शासन के पत्र सं0-103अ0मु0स0/92-2-19-03जांच/2019 दिनांक 15.07.2019 द्वारा उपरोक्त उल्लिखित अनियमितता के संबंध में उनका स्पष्टीकरण मॉगा गया, जो उनके पत्र सं0-1138/ग्रा0अ0वि0/बचाव-उ0/2019-20 दिनांक 06.05.2020 द्वारा उत्तर शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री आर0के0 सचान द्वारा अपने बचाव उत्तर में उल्लिखित किया गया है कि जनपद-रायबरेली में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत विधानसभा वार/क्षेत्रवार प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री जी की पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये थे, जिनमें 136 कार्यो के प्रस्ताव मा0 एम0एल0सी0 द्वारा दिये गये थे, जिन पर शासन स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होनी शेष थी। उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृति की प्रत्याशा में इन 136 कार्यो की निविदायें मॉगी गयी। प्रस्तावित कार्यो की सूची जिसमें कार्य के नाम के सम्मुख विधानसभा क्षेत्र तथा मा0 विधायक का नाम अंकित था, से दो निविदायें एक रूपया लाख से ऊपर तथा दूसरी रू0 दस लाख से कम लागत के कार्यो की तैयार की गयी। निविदा सूचना सं0-4160 दिनांक 08.02.2019 को 10 लाख से अधिक 71 कार्यो हेतु निर्गत किया गया था, जिसे अनुबंध सहायक द्वारा प्रस्तावित कार्यो की सूची से छांटकर तैयार किया गया था। चूंकि प्रस्तावित कार्यो की सूची विधान सभावार व मा0 विधायकों के नाम के साथ थी। अत: अनुबंध सहायक द्वारा वैसी ही सूची तैयार कर दी गयी थी तथा निविदा प्रकाशन हेतु सूचना निदेशक कार्यालय में प्राप्त करा दी गयी। दिनांक 09.02.2019 व दिनांक 10.02.2019 को अवकाश होने के कारण उपरोक्त त्रुटि का संज्ञान दिनांक 11.02.2019 को हुआ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

त्रुटि के सुधार के लिये दिनांक 13.02.2019 को शुद्धि पत्र दिनांक 13.02.2019 निर्गत किया गया, जिसका प्रकाशन दिनांक 17.02.2019 को दैनिक जागरण, लखनऊ में हुआ था।

साथ ही यह जनपद रायबरेली में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत दो निविदायें निविदा संख्या-4160 दिनांक 08.02.2019 (72 कार्यो की) तथा निविदा सं0-4209 दिनांक 12.02.2019 (73 कार्यो की) आमंत्रित की गयी थी, जिनमें जनप्रतिनिधियों के नाम व कुछ कार्य दो बार त्रुटिवश अंकित को गये थे, को कार्यालय के पत्रांक-4303 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इन निविदाओं के सापेक्ष नई ई-निविदा सं0-4327 दिनांक 21.02.2019 को सभी 136 प्रस्तावित कार्यो हेतु निर्गत किया गया है, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधियों का नाम अंकित नहीं है। मा0 जनप्रतिनिधियों के मध्य उत्पन्न विवाद को सुलझाने हेतु अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-लखनऊ एवं उसके द्वारा मिलकर प्रयास किया गया तथा निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता का प्रयास किया गय। निविदाओं के प्रकाशन में लापरवाही हेतु संबंधित सहायक के विरूद्ध कार्यवाही भी की गयी है।

3- अपचारी अधिकारी श्री आर0के0 सचान से मॉगे गये स्पष्टीकरण, उनके बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मुख्य अभियंता (प0क्षे0) की प्रारम्भिक जॉच आख्या दिनांक 01.03.2019 एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्यों में यह स्थिति पायी गयी कि श्री आर0के0 सचान द्वारा दिनांक 08.02.2019 व 12.02.2019 को आमंत्रित की गयी निविदाओं में त्रुटि पाये जाने पर उनके पत्र दिनांक 13.02.2019 के माध्यम से निर्गत शुद्धि पत्र में पुन: जनप्रतिनिधियों का नाम अंकित किया गया था, जिसमें विभाग एवं जनप्रतिनिधयां के बीच विषयम परिस्थितियॉ उत्पन्न हुई एवं विभाग की छवि धूमिल होने के दृष्टिगत श्री आर0के0 सचान, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-देवीपाटन मण्डल गोण्डा के विरूद्ध शासन के पत्र दिनांक 15.07.2019 द्वारा मॉगे गये स्पष्टीकरण को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-84/2020/987/92-2-20-03जॉच/2019 दिनांक 10.07.2020 द्वारा निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किया गया :-

> "जनपद-रायबरेली में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत आमंत्रित निविदा सं0-4160 दिनांक 08.02.2019 व 4209 दिनांक 12.02.2019 में तथा उक्त निविदाओं में परिलक्षित कमियो को दूर किये जाने हेतु जारी किये गये शुद्धि पत्र सं0-4237/4243 दिनांक 13.02.2019 में पुन: जनप्रतिनिधियों का नाम अंकित किये जाने से विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई एवं विभाग की छवि धूमिल हुई जिसके लिए श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन मण्डल गोण्डा को वर्ष 2020-21 के लिये **"परिनिन्दा प्रविष्टि"** प्रदान की जाती है।**"**

4- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.07.2020 व्द्वारा पारित उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि के संबंध में प्राप्त श्री आर0के0 सचान का प्रत्यावेदन दिनांक 29.09.2020, 01.12.2020 तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की आख्या दिनांक 21.04.2022 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि जनपद-रायबरेली में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत आमंत्रित निविदा सं0-4160 दिनांक 08.02.2019 व 4209 दिनांक 12.02.2019 में तथा उक्त निविदाओं में परिलक्षित कमियो को दूर किये जाने हेतु जारी किये गये शुद्धि पत्र सं0-4237/4243 दिनांक 13.02.2019 में पुन: जनप्रतिनिधियों का नाम अंकित किये जाने के संबंध में श्री सचान के प्रत्यावेदन में इंगित किया गया है कि निविदा प्रकाशन में तत्समय हुई त्रुटियों को ठीक कराते हुए संशोधित निविदा जारी करा दी गयी थी के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-84/2020/987/92-2-20-03जॉच/2019 दिनांक 10.07.2020 द्वारा श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन मण्डल गोण्डा को दी गयी परिनिन्दा प्रविष्टि को विलोपित करते हुये "सचेत" किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2022/122प्र0स0(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परिमण्डल-देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in